

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

दुलीचन्द

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा 136 एलआरएक्ट.

नम्बर 80

सन-2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख
01.11.2021	<p>प्रशासन गांव के अभियान कैम्प कोर्ट टीडियासर में प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया।</p> <p>प्रार्थी / अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 158/156 की कुल 26.3790 हैक् में से 19319/263790 हिस्सा दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम दुलीचन्द पुत्र मेधाराम दर्ज किया गया है जो गलत है प्रार्थी का सही नाम दुलीचन्द पुत्र मुखराम है।</p> <p>प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात, आम आदमी का आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम दुलीचन्द पुत्र मुखराम दर्ज है प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दुलीचन्द पुत्र मुखराम दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।</p> <p>तहसीलदार नोहर की जांच रिपोर्ट / मजमे आम की जानकारी के अनुसार प्रार्थी का नाम दुलीचन्द पुत्र मुखराम है नाम संशोधन की अभिशषा की गई है।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दुलीचन्द्र पुत्र मेधाराम दर्ज है एवं प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत अन्य सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम दुलीचन्द पुत्र मुखराम दर्ज है</p> <p>प्रार्थी के नाम के सम्बन्ध में कैम्प के दौरान संरपच के द्वारा प्रार्थी के नाम को तस्दीक किया जाकर प्रमाण पत्र पेश किया गया</p> <p>प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 158/156 की कुल 26.3790 हैक् में से 19319/263790 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा में प्रार्थी का नाम दुलीचन्द पुत्र मेधाराम दर्ज है के स्थान पर दुलीचन्द पुत्र मुखराम उर्फ मेधाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान-2021

कैम्प कोर्ट टीडियासर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर
क्रमांक : राजस्व/रीडर/2021/136LAA/80
तहसीलदार राजस्व नोहर ।
दिनांक :- 01/11/2021

विषय :- प्रकरण अनवानी दुलीचन्द बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-
1. दुलीचन्द पुत्र मुखराम जाति धानक निवासी छतरियावाली व जिला सिरसा हाल निवासी जबरामसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।


बनाम

प्रार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

अप्रार्थी
प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनुवानी प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा जबरामसर के खाता संख्या 158/156 की कुल 26.3790 हैक् में से 19319/263790 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा में प्रार्थी का नाम दुलीचन्द पुत्र मेधाराम दर्ज है के स्थान पर दुलीचन्द पुत्र मुखराम उर्फ मेधाराम संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान-2021
कैम्प कोर्ट टीडियासर